पारादीप पोर्ट एरिया मैनेजमेंट एंड से टी रेगुलेशन, १९७६

मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, १९६३ (१९६३) की धारा १२३ (एफ), (एन) और (ओ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पारादीप पोर्ट न्यासी बोर्ड एतद्द्वारा नि नलिखित नियमन को प्रकाशित करते हैं, ये सब उक्त एक्ट की धारा १२४ (२) के तननंतर प्रकाशित करा लिए जाने और धारा १२४ (१) के अधीन आवश्यकतानुसार केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद, नामतः -

१ लघु शीर्षक एवं प्रारंभ :-

१) इन नियमनों को पारादीप पोर्ट एरिया मैनेजमेंट एंड से टी रेगुलेशन, १९७६ के नाम से पुकारा जा सकता है।

२) यह नियमन-२ में परिभाषित पूरे पारादीप पोर्ट क्षेत्र में विस्तारित है और यह एक बार लागू होगा।

२ परिभाषाएं :-

इन नियमनों में संदर्भित होने पर -

ए) एक्ट से आशय मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, १९६३ और इंडियन पोर्ट एक्ट, १९०८ से है, जैसा संदर्भ में उपयुक्त हो।

बी) पोर्ट एरिया से आशय पोर्ट की सीमाओं से है जो इंडियन पोर्ट्स एक्ट, १९०८ (१९०८ का १५) की धारा-५ में उप-धारा २ के अधीन १२ अगस्त, १९६६ को अधिसूचना सं या १३०७- जीएसआर में अधिसूचित की गई है और इसमें बोर्ड में समाहित या बोर्ड में समाहित की जाने वाली जमीन, भवन या अन्य कार्यों में शामिल सभी परिसर आते हैं।

सी) प्रतिबंधित क्षेत्र से आशय भारतीय गोपनीयता अधिनियम, १९२३ (१९२३ का १४) की धारा-२ की क्लॉज-८ की उप-क्लॉज सी और डी के अधीन दिनांक २८ अप्रैल, १९६६ को अधिसूचना सं या-२१८४-सी में अधिसूचित क्षेत्र से है।

डी) इन नियमनों मे प्रयुक्त ''शब्दों और अभिव्यक्तियों '' से आशय वही होगा जो उन्हें मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, १९६३ इंडियन पोर्ट्स एक्ट १९०८ के अधीन और उन के नियमों में प्रदत्त है।

ई) 'मु य सुरक्षा अधिकारी' और 'सुरक्षा प्राधिकारी' से

आशय पोर्ट की पुलिस सेवा और सुरक्षा का जि मा संभालने हेतु

अधिकारियों के अलावा उस प्रत्येक प्राधिकारी/प्राधिकारियों से है

जिन्हें किसी भी नियम समय पर इन गतिविधियों का प्रभार सौंपा जा सकता है।

एफ) 'नियमों' से आशय उन नियमों से है जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, १९६३ और इंडियन पोट्स एक्ट १९०८ के अधीन गठित हैं।

३. १) कोई भी व्यक्ति मु य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों के अधीन

अथवा वैध परमिट के बिना इस नियमन के उपनियमन (२) के अधीन अधिसूचित या परिभाषित किसी क्षेत्र और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

२) कोई भी व्यक्ति उपरोक्त उपनियमन (१) के अधीन प्राप्त परमिट के साथ साथ संबंधित विभाग प्रमुखों की ओर से जारी विशेष पास के बिना पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किसी भी प्रतिष्ठान या स्थान और किसी भी अन्य क्षेत्र नामत: कोई भो व्यक्ति बलिझाड़ा वाटर वर्क्स, वाटर टावर, पेयजल की हौदियों और वाटर पंपिंग स्टेशन, बिजली के सब-स्टेशन पॉइंट्स, सीवरेज पंपिंग स्टेशनों, स्थानीय शेड, रेल-सड़क वे-ब्रिजों, दूरसंचार प्रतिष्ठानों, भंडारण गृहों, प्रशासकीय कार्यालया, प्रशासन के कोर एरिया, पेट्रोल बंक्स, पेट्रोल पंपों और बंकरिंग स्टेशनों, अस्पताल बर्थों, शेडों, जहाजी तटों, गोदियां, कारगो स्टैकयार्डों, स्लिप-वे और ड्राई डॉकिंग एरिया, कार्यशालाओं, आयरन और हैंडलिंग प्लांट व अन्य मैकेनिकल हैंडलिंग प्लाटों, सिग्नल स्टेशनों, मैकेनाइज्ड कोल हैंडलिंग प्लांट और बूस्टर स्टेशनों, ब्रेक वाटर्स, लेगून एरिया में एप्रोच एंड एंट्रेंस चैनलों आदि क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

४. कोई भी व्यक्ति मु य सुरक्षा अधिकारी को लिखित स्वीकृति के बिना नियमन ३ के उपनियमन (२) के अधीन वर्णित प्रतिष्ठान, क्षेत्र स्थान और पोर्ट परिसर के कंपाउंड क्षेत्र के बाहर ४०० मीटर के दायरे में वहां किसी विस्फोटक, आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं करेगा या वहां माईक लाऊडस्पीकर या ऐसे किसी भी भाषणों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण नहीं बजायेगा।

५. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन द्वारा अधिकृत उसके सचिव,

मु य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा प्राधिकारी और ऐसे सभी प्राधिकारी

बोर्ड परिसर में ऐसे गड़-बड़ी करने वाले या अनेय अवांछित लोगों तथा अतिक्रमणकारियों को परिसर से निकाल बाहर करने में सक्षम होंगे।

६. पोर्ट ट्रस्ट अन्य उपायों समेत नि नलिखित उपायों को डॉक, जहाजी तटों, गोदियों, रेलवेज़, ट्रामवेज़, भवनों और बोर्ड द्वारा निर्मित या अधिग्रहीत अन्य कामकाजों अथवा किसा भूखड या उसके द्वारा अधिग्रहीत तट या उसके हित में किसी भी कार्य स्थल के सुरक्षित, प्रभावशाली और सुविधाजनक इस्तेमाल के अलावा उनके समुचित नियन्त्रण हेतु गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों या अन्य अवांछित तत्वों व अतिक्रमणकारियो को निकाल बाहर करने के लिये सुनिश्चित कर सकता है ताकि पोर्ट क्षेत्र सुरक्षित रहे और इन नियमनों के क्रियान्वयन स पोर्ट का समान्य कामकाज समुचित ढ़ंग से चलता रहे :-

१) गेट, अवरोधक खड़े करना, दीवारें बनाना और कंडीली तारें लगाना।

२) यथोचित स्थलों पर साईन बोर्ड, परचे, और पोस्टर आदि लगाना।

३) सर्वेक्षण कराना और सीमांकन तय कर के उन्हें चिन्हित करना।

४) अन्य सभी आवश्यक उपाय या आदेस पारित करना ।

७. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन चाहें तो इस नियमन के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्राधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के काम काज तथा शक्तियों का तरीका निर्धारित कर सकते हैं।

८. इस नियमन में प्रावधावों के उल्लंघन कर्ताओं के साथ मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट १९६३ की धारा १२४ के अधीन वर्णित नियमों के साथ निपटा जाएगा।

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट
प्रेमानंद त्रिपाठी
२३ फरवरी, १९७७ चेयरमैन
पारादीप पोर्ट